


987412



उत्तर प्रदेश UTTAR PRA



9 570086

विक्रय-पत्र
लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1. मूल का प्रकार : स्थि
- 2. प्रयोग : विपरीत
- 3. जाग : महीना

प. जे. कुमार



भारत गणराज्य INDIA NON JUDICIAL

₹ 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 670 87


B 570087



2-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) | : भूमि जसरा संख्या-473 |
| 5. नाम की शब्द | : खिटावर |
| 6. स्थिति सम्पत्ति का विवरण | : 0.171 हेक्टर |
| 7. संपत्ति की स्थिति | : सुल्तानपुर रोड व अमर गार्ड फस से लगभग 500 मीटर से अधिक |
| 8. सम्पत्ति का प्रकार | : भूमि |
| 9. पेशों का वर्गीकरण | : बस गहरी |
| 10. बंदिगाह/आ/अ/अ | : कुड गी गही |

15/12/2011





11	प्रतिबन्ध की शर्तों पर	₹ 15,04,321/-
12	मांगीकरण	₹ 4,51,700/-
13	रकम	₹ 1,05,350/-

वीक्यूदी

खसरा नं०-473

मुख	: खसरा संख्या-474
परिमाण	: खसरा संख्या-472
उत्तर	: खसरा संख्या-444
दक्षिण	: खसरा संख्या-476

पुणे २७ मार्च २०१७



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000


पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

806173



- 4 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

शिक्षिका का विवरण राम चन्द्र गुप्त चौरा, निवासी- मंगलेश्वर मजरा-बदौना, मरगावा-बैजनीट, तहसील ब जिला-बलरामपुर।	: जवा का विवरण रमेश कुमार पुत्र विपति, निवासी-राम-जंतवा एवं गाम, जिला-रायबरेली, 20401।
--	---

2012/02/07



भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886172


9 MAY 19

विक्रय विलेख

एक विक्रय विलेख राम चन्द्र पुत्र मधुदा, निवासी-
अंगनखेड़ा मजरा-बरोना, बरगना-मिर्जापुर, ताहसील
जिला-लखनऊ, जिसे जमी विक्रेता कहा गया है,

आम

दिनांक



महाराज, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

856176

10 MAY 1958

श्री ४५४ कुम्हार पुत्र विपति, निवासी-ग्राम-बेतवा एवं
ग्राम, जिला-रायबरेली, २०२० - जिसे जानो कंटा कड़ गया
है, को मध्य निपटारित किया गया।

यह कि विद्वेता कृषि भूमि खाला संख्या-००३३५ खसरा
संख्या- ४७३ खसरा ०.३४२० हेक्टर में से १/२ भाग वाली
०.१७१ हेक्टर, जिला ग्राम-बेतवा, रायबरेली जिला, महलील


D. K. S. S. S.

रु. २०००००

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 386175

MAR 20

यह जिला सखगढ़ को मालिक, कपिल व कर्किस है, जो
दिल्ली को बरासान प्राण हुई है तथा उपरोक्त कल्याणित
प्रत्येक वर्ष अर्थात् फरवरी वर्ष 1419 से 1424 के लाल
अर्थात् प्रथम संख्या-100000 के अनुसार दिवंगत का नाम
अमर हदान्त ही पुत्रा है। जल आरक्षी अथ दिवंगत के लिये
यह इच्छा मालिकता में मौजूद है और जो कहीं दिवंगत, हिमा,
अणवार, कुकी, व बनारस आदि से पतित नहीं है, अथ

दिनांक

दिनांक 10/10/20

भारतीय गैर-न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

856174

19 MAR 20

- 3 -

आराजी में किराी अन्त व्यक्त का कोई स्वाभिव एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति मानीदार है। अब सन्तान लुप्त निजंता के लसी कृषि भूमि आता संख्या-000385 असरा संख्या- 473 लकना 0.3420 हेक्टेयर में से 1/2 भाग यानी 0.171 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-झीना, परगना निजनीट, तहसील व जिला लखनऊ को पूर्ण स्वाभिव एवं अधिकारों सहित बिना कोई किराी माल व हक के लुप्त एवं न सन्तानक बिना किराी

ले. २५/५/२०२०



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON-JUDICIAL

₹.5000

पांच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 258175

0 2 MAY 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

दयाव में, कायज मुलिया लॉ 15,04,322/- (समस्त पचाह लाख चार हजार तीन सौ पाईस मात्र) में जेता उपरोक्त को रूप कराई बिचा और कुल निजिय फनडासि कयल तहरीर हुकायेंत हया जेता उपरोक्त से नीचे लिखे गये विवरण के अनुसार प्राप्त कयल गे अल गालियाना आरबी इचमुदा पर अल से कसूनी करा जेया। अब बिल्ला न शारिलान निजेंता को कोई एक व बाया निजक आराजी

स्मिथ कुमारी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL


₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

अवशुद्ध व मिश्रित वस्तुओं के क्रेता से आती नहीं रहा, अतः कोई शक्य हुआ कहे जा यह विषय नानाजन होंगे, और अतः आरानी अवशुद्ध मूल अवस्था उत्पन्न होगी अथवा क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या क्रेता न मिले या कमी विख्या, डिमा, कर्मगार, दुर्घटना व जनमत आदि से अक्षत पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल वित्त वस्तुओं में हस्ता-सर्वा व सुकलान के



रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

486177
09 MAY 2011

-11-

यह चिकेला व शारिणात चिकेला से व चिकेला की अन्य सम्पत्ति वल व अकल से कलिये न्यायालय प्राप्त कर लें, इसमें चिकेला व शारिणात चिकेला को कोई आयक्ति नहीं होगी।

अब जेता कलरानत को पूरा अधिकार है कि वह चिकेला आराजी को सम्पत्ति में समस्त सदस्यवरी अनिलकरी में आपन नाम दामिल-आदिज करा लें।

दि. 09/05/11

स.स. अ.स.स.स.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये


FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 886173

09 MAR 2011



- 12 -

आराजी उपरोक्त में होती होती है, आराजी उपरोक्त में पेट, अनुमेल, सुआ व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर क्रिया में कोई नियाम आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक माने जनाएँय गाँव व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।



सि.प्र. अ.प्र. 12

सि.प्र. अ.प्र. 12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA-633267--



आराजी स्थित राम बरीना, गढ़ना-बिजनौर के
अधेनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर
निगम सीमा के अन्तर्गत है, इसलिए उपरोक्त भूमि का
दर 0.171 हेक्टेयर की मामूली गणित से रु
27,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से रु 4,81,700/- होती
है, जो कि विज्ञप्त न्यूनतम है। अतः नियमानुसार विज्ञप्त

रामेश कुमार



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 633256

30 JAN 2000

144

मूल्य पर ही 50 रुपया प्रति इंच की दर से रु. 1,05,350/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहे है।

व्ययोजित आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

हस्ताक्षर



20/1/2000

भारतीय न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

81 63245

103-

विकला व वृद्धा जैसा ही अनुसूचित जाति को समझें।
किस आरक्षी किसी योजना व किसी सङ्घटी व अर्थ
सङ्घटी संस्था द्वारा अङ्गीकृत नहीं हैं।

यह कि कर्म प्रयोग ऐसे शब्दों "विकला" व
"वृद्धा" में, जब तक वे कर्म के प्रतिफल न हों, उनके
विधिक प्रतिनिधित्व व व्यवसायिकरण भी सम्मिलित हैं।


डॉ. ए. ए. अग्रवाल


Dr. A. A. Agrawal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 5727011

दिलिया यह दस्तावेज निर्दिष्ट नं प्रपनी लुशी व इवाली
में सूत्र सचिव व सगलकट बिना किली इशरत में, लेता प्रत्येक के
पता में लिख दिया जाक लख रहे और कमा ललका पर बरग
आते।

रुहेश कुमार



वि.स. कार्यालय

Handwritten notes and signatures, possibly including the name "C. J. ...".

October 1957

5527


1957

1957

1957

0101 - 1957

Handwritten notes or a small sketch.



001

Reference No. 000

Title 2012

Part No. 1

1001 000000
1001
1001
1001




प्रास का नाम ->

काला ->

विहारा ->

अथवा अथवा अथवा

अथवा ->



अथवा
अथवा अथवा

अथवा
अथवा अथवा

अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा

